न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस.

नामान्तरकरण अपील संख्या :– 06/19

अपीलान्ट

1. केसाराम चौधरी पुत्र स्व0 जेहाराम उर्फ जैसा
   जाति जाट ~~राजपूत~~ निवासी धोलानाडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. बजरिये सरपंच ग्राम पंचायत धोलानाडा
2. गुमना पुत्र जेहा उर्फ जैसा
3. गंगा पुत्र जेहा उर्फ जैसा
4. केसा पुत्र जेहा उर्फ जैसा
5. कोली पत्नी जेहा उर्फ जैसा
6. नरेन्द्र पुत्र जेहा उर्फ जैसा
   जाति जाट निवासी धोलानाडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट खिलाफ आदेश दिनांक 27.11.2000 राजस्व नामान्तरण संख्या 67 द्वारा ग्राम पंचायत धोलानाडा ने पारित किया गया

उपस्थित :–

1. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 ता 6

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13/09/2019

प्रस्तुत अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता जेहा उर्फ जैसा पुत्र प्रेमा का खातेदारी की भूमि ग्राम धोलानाडा में खेत खसरा नम्बर 214 रकबा 18–06 बीघा की आई हुई है। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास होने से फौतगी का नामान्तरणकरण संख्या 67 दिनांक 21.11.2000 को पारित किया गया जिसमें प्रार्थी के पिता जैसा पुत्र प्रेमा के उत्तराधिकारियों के नाम गुमना, गंगा, केशा, किशना, नरेन्द्र पिसरान जैसा एवं कोहली बेवा जैसा दायर किया गया। उक्त नामान्तरकरण खोलते वक्त अपीलान्ट का नाम केसाराम चौधरी के स्थान पर किशना गलत दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट का सही नाम केसाराम चौधरी है जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण में गलती से केसाराम चौधरी पुत्र जैसा के स्थान पर किशना वल्द जैसा लिख दिया ... राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से दायर किये गये न... को हू–ब–हू अपीलान्ट को बगैर सुने स्वीकृत ... किया है कि नामान्तरकरण संख्या 67 ग्राम पंचायत ... के स्वीकृत आदेश में अपीलान्ट का नाम किशना वल्द जैसा के स्थान पर सही नाम केसाराम चौधरी पुत्र जेहाराम उर्फ जैसा स्वीकृत करने ... आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:57:57 IST
Reason: SelfAttested

अपील दिनांक 15.03.2019 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 ता 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई उपस्थित हुए तथा अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार करते हुए इकवाली जबाव पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ग्राम पंचायत धोलानाडा द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी कर निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी जिला-बाडमेर

किया कि केसाराम चौधरी पुत्र जेहाराम कौम जाट साकिन आसुओं की ढाणी पंचायत नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर वाला की खातेदारी खेत मौजा धोलानाडा के खसरा नम्बर 214 में नामान्तरण के समय किशना पुत्र जेहा दर्ज है। केसाराम चौधरी व किशना दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है तथा आम बोल चाल में अलग अलग नाम से जाने व पहचाने जाने के कारण पृथक–पृथक नाम दर्ज हो गया है। अगकर केसाराम चौधरी अपना सही नाम राजस्व अभिलेख व व्यक्तिगत दस्तावेज के अनुरूप सही दर्ज करवाते हैं तो इस ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। अपीलाण्ट स्वयं, रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 केसाराम, गवाहान दिनेश व श्रवणकुमार ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि किशना व केसाराम चौधरी दोनों एक ही व्यक्ति हैं। धार्मिक रीतिरिवाज व देवी देवताओं के कारण पारिवारिक कारणों से दो भाईयों के नाम केसाराम व केसाराम चौधरी रख दिये गये। जबकि केसाराम चौधरी को बचपन में बोलचाल में अलग पहचान के लिये किशना के नाम से भी बुलाते थे। इसी कारण अपीलाण्ट के पिता जेहा उर्फ़ जैसा के फौत होने पर अपीलाण्ट का नाम केसाराम चौधरी के स्थान पर किशना लिख दिया गया। अपीलाण्ट किशनाराम पेशे से अध्यापक है तथा समस्त सरकारी रेकर्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक डायरी, परिवार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में किशना का नाम केसाराम चौधरी ही दर्ज है। जिससे राजस्व रेकर्ड में भी किशना के स्थान पर केसाराम चौधरी किया जाने का निवेदन किया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। समस्त रेकर्ड का अवलोकन करने तथा उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अपील विलम्ब से पेश करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अपील के साथ पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 67 ग्राम धोलानाडा के खसरा नम्बर 214 रकबा 18–06 बीघा में अपीलाण्ट का नाम ''किशना'' के स्थान पर सही नाम ''किशना उर्फ केसाराम चौधरी'' दर्ज कर स्वीकृत करने के आदेश दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:57:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी जिला-बाड़मेर